**जांच सूची क्रमांक 20 – डम्ब बार्ज की बिक्री (पुनः संचालन अथवा स्क्रैप हेतु) – रजिस्ट्रेशन समाप्ति**

**(पृष्ठ 1 का 3)**

| **क्र.सं.** | **आवश्यक दस्तावेज** | **हां/नहीं** |
| --- | --- | --- |
| 1 | यदि जहाज स्क्रैपिंग के लिए बेचा गया है, तो खरीदार का नाम और पूरा पता देना आवश्यक है। |  |
| 2 | यदि क्रेता भारतीय है, तो विक्रेता और क्रेता – दोनों को जहाज को पुनः संचालन/स्क्रैप हेतु बेचने की मंशा की पूर्व जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। |  |
| 3 | जहाज को बेचने/स्क्रैप करने हेतु 'समझौता ज्ञापन' / 'बिक्री विलेख' की प्रति आवश्यक है। |  |
| 4 | विक्रेता (कंपनी) के मामले में – कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव / विक्रेता (व्यक्तिगत) के मामले में – विक्रय का निर्णय लेने एवं किसी व्यक्ति को ‘बिल ऑफ सेल’ / ‘बिक्री विलेख’ पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत करने का पत्र। |  |
| 5 | खरीदार (कंपनी) के मामले में – कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव / खरीदार (व्यक्तिगत) के मामले में – खरीद का निर्णय लेने एवं स्वामित्व की घोषणा पर हस्ताक्षर हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत करने का पत्र। (विदेशी खरीदार के मामले में आवश्यक नहीं) |  |

**नोट**: बोर्ड प्रस्ताव पर कॉमन सील अनिवार्य नहीं है। हालांकि, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल आदि जैसे कार्यों के लिए कॉमन सील आवश्यक होगा।

| 6 | स्वामित्व की घोषणा (संलग्न प्रारूप अनुसार) – जिसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा जहाजों के रजिस्ट्रार की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है। | |
| 7 | यदि स्वामी व्यक्तिगत है / या अधिकृत व्यक्ति है, तो उनकी नागरिकता – आधार कार्ड और पासपोर्ट की मूल प्रति लाना अनिवार्य है (स्वामित्व घोषणा के समय)। | |
| 8 | कंपनी के मामले में – कॉमन सील सहित मूल ‘बिक्री विलेख’ या ‘बिल ऑफ सेल’ / व्यक्तिगत स्वामी के मामले में – हस्ताक्षरित प्रति या विधिवत प्रमाणित / नोटराइज़ की गई प्रति। (यदि क्रेता विदेशी है, तो प्रमाणित प्रति पर्याप्त होगी)। | |
| 9 | एमएमडी / आईआरएस द्वारा जारी सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ समर्पित की जानी चाहिए:

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. लोड लाइन प्रमाणपत्र
3. एसपीएस कोड के अंतर्गत जारी अनुपालन प्रमाणपत्र
4. IOPP प्रमाणपत्र
5. सीवेज प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | |
| 10 | जहाज का नाम, कॉल साइन, आधिकारिक संख्या और डिजिटल सिलेक्टिव कॉल (MMSI) संख्या – विक्रेता द्वारा लिखित रूप में, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित समर्पित किया जाना चाहिए। साथ ही यह प्रमाण/प्रतिज्ञा प्रस्तुत करनी होगी कि निम्नलिखित को निष्क्रिय कर दिया गया है (यदि लागू हो):
(a) मोबाइल स्टेशन लाइसेंस
(b) इनमारसैट
(c) शिप सिक्योरिटी अलार्म
(d) EPIRB | |
| 11 | पंजीकरण समाप्ति के समय जहाज पर कोई बकाया ऋण/गिरवी नहीं होनी चाहिए। | |
| 12 | क्या पंजीकरण समाप्ति का कारण “फ्लैगिंग आउट” (विदेशी ध्वज के अंतर्गत लाना) है? | |
| 13 | जहाज के स्क्रैप किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। | |
| 14 | ₹1000/- की भारत कोष भुगतान रसीद | |

**केवल कार्यालय उपयोग हेतु नोट:**

1. यदि उपरोक्त सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, तो **विलोपन प्रमाणपत्र (Deletion Certificate)** जारी किया जाएगा।

**नोट**: जांच सूची के अनुसार संलग्न/संलग्न किए गए किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहरबंद होनी चाहिए। बिना हस्ताक्षर और मोहर के दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।